राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–8)
(दूरभाष 0141–2227229, Email-pdme2k_rdd@yahoo.com)

कमांक 7(185)ग्रावि/अनु–8/2014/ दिनांक: 21.03.2016

विडियो कॉन्फ्रेन्स कार्यवाही विवरण

श्रीमान् शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 16 मार्च 2016 को शासन सचिवालय के उत्तरी पश्चिमी भवन स्थित एनआईसी के विडियो कॉन्फ्रेंस कक्ष से जिला परिषद के उपस्थित मुख्य/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारियों एवं प्रभारी अधिकारियों के साथ जिलेवार एवं योजनावार समीक्षा की गई, जिसमें निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये गये:–

1. महात्मा गांधी नरेगा

1. बजट घोषणा 2016 के अनुरूप निम्न कार्यवाही सुनिश्चित की जावे :–

1.1 प्रत्येक 5 ग्राम पंचायतों में से 2 ग्राम पंचायतों में आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण हेतु भूमि का चयन किया जावे। भूमि के पट्टे के संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद स्वयं मोनिटरिंग करेंगे।

1.2 प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम 5 परिवारों तथा प्रत्येक 5 ग्राम पंचायतों में से एक में चारागाह क्षेत्र को सुरक्षित करने के कार्य कराना।

1.3 शिक्षा विभाग के साथ बैठक कर प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक खेल मैदान का चयन कर इसमें विकास कार्य की योजना तैयार करना।

1.4 प्रत्येक 5 ग्राम पंचायतों में कम से कम दो श्मशान/कब्रिस्तान भूमि का चयन करना।

1.5 प्रत्येक कृषि विज्ञान केन्द्र (के.वी.के.) में प्रशिक्षण हेतु "प्रशिक्षण हॉल" का निर्माण।

1.6 मुख्यमंत्री स्वच्छ ग्राम योजना के तहत ग्राम पंचायत का चयन (दिशा निर्देश शीघ्र ही जारी किये जा रहे है)।

2. व्यक्तिगत लाभार्थी के कार्य प्रोजेक्ट मोड में कराये जावें ताकि प्रत्येक लाभार्थी को सभी प्रकार के कार्यों यथा Vermi Compost, Farm ponds/ Tanka, Cattle shed & Goat shed, Horticulture plantation, Plantation, live fencing आदि का लाभ मिल सके। प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम 20 स्वयं सहायता समूह का चयन किया जाकर व्यक्तिगत लाभार्थी के तहत Horticulture plantation के कार्य कराए जावे। इसी प्रकार प्रत्येक पंचायत में कम से कम 5 पशु/बकरी आश्रय स्थल, 5 फार्म पोण्ड/टांका निर्माण तथा 5 वर्मी कम्पोस्ट के कार्य आवश्यक रूप से कराए जावे।

3. प्रत्येक 2 ग्राम पंचायतों में कम से कम 1 खाद्य गोदाम निर्माण के कार्य भी चयनित कर कराए जावे।

4. वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्रारम्भ से ही नियत समय में भुगतान कराया जाना सुनिश्चित किया जावे। वर्ष 2015–16 की एम.आई.एस. एन्ट्री भी पूर्ण की जावे। यह सुनिश्चित किया जावे कि वर्ष 2015–16 के समस्त बिल–वाउचर्स की एन्ट्री एम.आई.एस. पर 30 अप्रैल, 2016 तक पूर्ण कर ली जावे।

5. मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना तथा व्यक्तिगत लाभार्थी के कार्य पर फोकस किया जावे ताकि महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 की अनुसूची–1 में वर्णित प्रावधान "लागत के अनुसार 60 प्रतिशत कार्य कृषि एवं इससे संबंधित गतिविधियों के कराये जावें" की पालना सुनिश्चित की जा सके।

6. वर्ष 2016–17 के अनुमोदित श्रम बजट के अनुसार श्रम नियोजन प्रारम्भ से ही सुनिश्चित किया जावे।

7. 1 अप्रैल 2016 से लागू होने वाले मास्टर सर्कुलर का अध्ययन किया जावे एवं पालना सुनिश्चित की जावे। मास्टर सर्कुलर में शामिल निम्न मुख्य बिन्दु की जानकारी सभी के ध्यान में लाई जावे :–

- ग्राम सभा के अनुमोदन के उपरान्त कन्वर्जेन्स प्लान के आधार पर प्रस्तावित कार्य पंचायत समिति एवं जिला परिषद द्वारा अनुमोदन कराए जाकर बाद में पूरक कार्य योजना में सम्मिलित किये जा सकते है।
- अन्य कार्यकारी संस्थाओं तथा ग्राम पंचायत को सम्मिलित करते हुए कराए गए समस्त कार्यों के लिए सामग्री मद पर व्यय जिसमें कुशल एवं अर्द्धकुशल श्रमिकों की मजदूरी भुगतान भी सम्मिलित है, जिला स्तर पर 40 प्रतिशत से अधिक नही होना चाहिए।

- उद्यानिकी, पौधारोपण के लिए व्यक्तिगत लाभ के कार्यों में पौधों का क्रय स्वयं लाभार्थी द्वारा डी. पी. सी. की अध्यक्षता में गठित कमेटी की अनुमोदित दरों पर राजकीय नर्सरी अथवा प्राईवेट नर्सरी से क्रय किये जा सकते है।
- व्यक्तिगत लाभार्थी की भूमि पर कराए जाने वाले कार्यों यथा फार्म पोण्ड, कुआं निर्माण, व्यक्तिगत शौचालय आदि के लिए सामग्री का क्रय लाभार्थी परिवार स्वयं के द्वारा सक्षम संस्था से स्वीकृत दरों पर किसी भी विक्रेता, जिसके पास टिन नम्बर है, से किया जा सकता है।
- प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत चयनित गांवों में अनुसूचित जाति के परिवारों की भूमि पर व्यक्तिगत भूमि विकास के कार्य महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत प्राथमिकता से कराए जावे।
- मानव संसाधन मंत्रालय की "मध्यान्ह भोजन के राष्ट्रीय प्रोग्राम" का महात्मा गांधी नरेगा योजना के साथ कन्वर्जेन्स कर विद्यालयों में रसोई घर एवं भोजन कक्ष का निर्माण।

8. दिनांक 01.04.2016 से राज्य स्तरीय टोल फ्री नम्बर परिवर्तित हो जाएगा। नया नम्बर 1800-180-6127 का व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जावे।

2. <u>आवास योजना</u>

1 मुख्यमंत्री बीपीएल आवास योजना (CMBPL) के अन्तर्गत हड़को से निष्पादित ऋण एग्रीमेंन्ट के तहत प्रथम फेज वर्ष 2011–12 की राशि जिलों द्वारा अवमुक्त कराने एवं फेज द्वितीय एवं तृतीय की भी शेष राशि को अवमुक्त कराने के निर्देश दिये गये क्योंकि वर्ष 2013–14 को भी योजना की अधिकतम अनुमत समय सीमा 31 मार्च, 2016 को समाप्त हो रही है।

2 विडियो कॉन्फ्रेन्स में हड़को के महाप्रबंधक एवं प्रबंधक द्वारा विशेषकर जिला उदयपुर से किश्त हेतु प्रस्ताव भिजवाने हेतु कहा गया एवं शेष जिलों को निर्धारित छः माह में उपयोगिता प्रमाण पत्र मय राशि की मांग अथवा करटेल समय पर भिजवाने हेतु कहा गया।

3 महात्मा गांधी नरेगा योजना से कन्वर्जेन्स की प्रगति असंतोषजनक है। इस संबंध में सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशेष अभियान के दौरान लिये गये आवास फोटों एवं सत्यापन रिपोर्ट को आधार मानकर देय लाभ की आवश्यक स्वीकृतियां अनिवार्य रूप से जारी कर देवें। इसके अतिरिक्त स्वीकृत शुदा आवासों के लाभार्थियों को समय पर मस्टर रोल जारी कराये जाने की सघन समीक्षा की जावे।

4 वित्तीय वर्ष की समाप्ति के मध्यनजर योजना के वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य की प्रगति के साथ-साथ प्रशासनिक मद का अधिकतम व्यय किया जावे।

5 सभी को आश्रय 2022 के मध्यनजर राज्य को वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए 118000 आवास लक्ष्य संभावित है। जिस की पूर्ति हेतु समय पर आवास सहायकों, आवश्यक संसाधनों, प्रशिक्षण एवं निर्माण सामग्री व भवन के प्रोटोटाइप की महत्वता के संबंध में विस्तृत जानकारी देकर प्राथमिकता से स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल

तकनीक व सामग्री का उपयोग कर प्रोटोटाइप 11 दिल्ली की डिजाईन के आधार पर निर्माण किया जाए। सांसद आदर्श ग्राम योजना/मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना में चयनित ग्राम पंचायतों में समुचित स्थान उपलब्ध होने पर प्राथमिकता देवें।

6 अन्य चिन्हित वर्ग आवास योजना के शतप्रतिशत लक्ष्यों की स्वीकृतियां जारी करें एवं SE (RD) को अंतिम संशोधित लक्ष्य निर्धारित कर जिलों को अवगत करवाने के निर्देश दिये गयें।

7 जिला करौली को आवास योजना में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति वर्ग में मांग अनुमान 200 अति0 लक्ष्य आवंटित किये गये। अन्य जिलों के लिए भी एससी/एसटी/अल्पसंख्यक वर्ग में लक्ष्यों की उपरी सीमा नहीं है। सभी पात्र परिवारों को स्वीकृति जारी कर दी जावें।

8 1 अप्रैल 2016 से सभी लाभार्थियों को किश्त हस्तानान्तरण वर्ष 2015–16 की प्रक्रिया के अनुसार अर्थात PEMS के माध्यम से होगा। जिस हेतु लाभार्थियों के बचत खाते CBS होना अनिवार्य है। अतः सभी जिलें 31.03.2016 तक वर्ष 2016–17 में निर्माणधीन रहने वाले आवास जिन्हें द्वित्तीय/तृतीय किश्त दी जानी है, के खाते अनिवार्य रूप से आवास सॉफ्ट पर CBS खाता नमबर फीड करें। विपरीत स्थिती में PFMS की प्रक्रिया में समय लगने पर लाभार्थी को भुगतान में 2 से 3 माह की विलम्ब होगा जिस हेतु संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तरदायी होगा। क्योंकि विशेष अभियान के दौरान उक्त लाभार्थियों के बैक खाता की डिटेल आवास सहायकों के माध्यम से एकत्रित करने हेतु निर्देश शासन स्तर से पूर्व में दिये जा चुके है।

9 दिनांक 18.03.2016 को अधिक लक्ष्य वाले 18 जिलों के PO(ACCTS) एवं PO (Engineering) अवशेष राशि को जिलें केन्द्रीयकृत बैंक खातें में जमा कराने की सूचना व प्रशासनिक मद की राशि की कार्ययोजना के साथ बैठक में शासन सचिवालय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया। शेष जिलें भी ऐसी कार्यवाही सुनिश्चित करें।

10. अभियान की समीक्षा के दौरान ध्यान में आया कि निर्देशों के बावजूद भी जिला बाड़मेर द्वारा आवास सहायकों का नियोजन नहीं किया गया है। जिसे शासन सचिव द्वारा गंभीरता से लिया गया। सभी जिलें आवासों के सत्यापन हेतु नियमित स्टाफ को नहीं लगायें। अन्य जिलों को भी निर्धारित आवासों के लक्ष्यों के अनुरूप आवास सहायक लगाने के निर्देश दिये गये।

11 आवास योजना में वर्ष 2014–15 तक किश्त भुगतान हेतु जारी किये जाने वाले FTO की हार्डप्रति जिला मुख्यालय को नहीं भेजी जायें। FTO की प्रति पंचायत समिति कार्यालय से स्केन कर जिला मुख्यालय को E-Mail पर भेजी जायें।

3. डांग, मगरा, मेवात क्षेत्र विकास योजना:–

1. मेवात क्षेत्रीय विकास योजना में अलवर का प्लान अनुमोदित हुये 15 दिवस से अधिक होने के उपरान्त भी तकनीकी स्वीकृति जारी नहीं की गई। इसको शासन

सचिव ने गंभीरता से लिया तथा निर्देश दिये कि 31 मार्च, 2016 से पूर्व सभी कार्यों की तकनीकी स्वीकृति जारी होकर वित्तीय स्वीकृति जारी हो जायें। तकनीकी स्वीकृति समय अवधि में जारी नही होने पर श्री गुलाब चन्द वर्मा, सहायक अभियंता को निलम्बित करने के निर्देश दिये गये।

2. वर्ष 2016–17 के लिए डांग, मगरा, मेवात का प्लान बांरा जिलें के अलावा किसी जिलें का प्राप्त नहीं हुआ है। प्लान में योजना की मार्गदर्शिक के अनुरूप अनुमत कार्यों को ही शामिल किया जावें। गैर–अनुमत कार्यों को शामिल करने पर संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं योजना प्रभारी के विरूद्ध आवश्यक अनुशासनिक कार्यवाही की जावेगी। प्लान तैयार कर शीघ्र भेजने के निर्देश दिये गयें।
3. 2015–16 के लिये 20 प्रतिशत अतिरिक्त राशि में से डांग मगरा मेवात योजना क्षेत्र में आने वाले गांवों में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के अंतर्गत लिये गये कार्यों बाबत यदि राशि की आवश्यकता हो तो उसके प्रस्ताव पूर्व निर्देशानुसार राज्य स्तर पर तत्काल भिजवावें।
4. डांग मगरा मेवात योजना में काफी संख्या में कार्य अपूर्ण व अप्रारंभ हैं विशेषकर राजसमंद, करौली एवं भीलवाड़ा तथा अलवर जिले में कार्य अपूर्ण व अप्रारंभ है।
5. सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण के प्रस्ताव RSLDC को एक सप्ताह में भिजवा दें।

4. गुरू गोलवलकर जनभागीदारी विकास योजना

1. जिला जैसलमेर की वित्तीय स्वीकृति शून्य है। शासन सचिव महोदय, ने इसे गंभीरता से लिया है। वित्तीय स्वीकृति 31.3.2016 से पूर्व जारी होकर कार्य शुरू करायें।
2. आईडब्ल्यूएमएस सोफ्टवेयर से समीक्षा करने पर पाया गया कि गत वर्ष के अपूर्ण कार्यो एवं चालू वर्ष में स्वीकृत कार्यों में से उदयपुर जिले में 133 के विरूद्ध 1 कार्य, टोंक जिले में 102 के विरूद्ध 13 कार्य, सिरोही में 13 के विरूद्ध 2 कार्य, सीकर में 61 के विरूद्ध 8 कार्य, स0माधोपुर में 21 के विरूद्ध 1 कार्य, राजसमंद में 36 के विरूद्ध 4 कार्य, प्रतापगढ में 52 के विरूद्ध 4 कार्य, कोटा में 33 के विरूद्ध 2 कार्य, करौली में 55 के विरूद्ध 5 कार्य, जयपुर में 51 के विरूद्ध 8 कार्य, श्रीगंगानगर में 44 के विरूद्ध 4 कार्य, चित्तौगढ में 48 के विरूद्ध 7 कार्य, भीलवाडा में 69 के विरूद्ध 2 कार्य, बांसवाडा में 147 के विरूद्ध 21 कार्य, बांरा में 18 के विरूद्ध शून्य, कार्य पूर्ण किये गये है।

5.सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

1. लोक सभा सांसद वर्ष 2014--15 की द्वितीय किश्त 6 जिलों (अलवर, दौसा, जोधपुर, कोटा, पाली एवं करौली) द्वारा नहीं प्राप्त की गयी है। इसी प्रकार वर्ष 2015–16 की प्रथम किश्त 15 जिलों द्वारा नहीं प्राप्त की गयी है। संबंधित जिले आगामी

किश्तें प्राप्त करने हेतु वांछित दस्तावेज भारत सरकार को भिजवाते हुए किश्त प्राप्त करने की कार्यवाही करें।

2. योजनान्तर्गत राज्य सभा सांसदों (10 वर्तमान एवं 2 पूर्व) की आगामी किश्तें प्राप्त करने की कार्यवाही की जावे। जयपुर–5, जोधपुर–3, भीलवाडा–1, अजमेर–1, चूरू–1, झुंझुंनू–1
3. 14वीं लोकसभा एवं पूर्व राज्य सभा सदस्यों के योजनान्तर्गत खुले हुए खातों को बंद करते हुए अवशेष राशि का हस्तान्तरण शीघ्र करावें।

6.सांसद / मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना

1. वर्तमान आदर्श ग्राम पंचायतों में मूलभूत अवसंरचनाओं के निर्माण हेतु महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत परिसम्पत्ति निर्माण निधि (सामग्री मद) में 50 करोड का प्रावधान किया गया है। इस हेतु प्रत्येक आदर्श ग्राम पंचायत में 40 लाख या इससे अधिक की स्वीकृतियाँ जारी कर, इसी वित्तीय वर्ष में राशि का उपयोग किया जाए।

अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु–

1. सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारी विडियो कॉन्फ्रेन्स में चर्चा योग्य बिन्दुओं का समीक्षा नोट वीसी से पूर्व मुख्यालय को प्रेषित करें तथा वीसी होने के पश्चात अनुपालना रिपोर्ट आगामी वीसी के 7 दिवस पूर्व (Email-pdme2k_rdd@yahoo.com) भिजवाना सुनिश्चित करें।

परि. निदे. एवं उप सचिव
(मो. एवं मू.)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
4. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
5. निजी सचिव, आयुक्त, जलग्रहण एवं भू-संरक्षण विभाग।
6. परि. निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस / एसएपी / मो. एवं मू., ग्रामीण विकास विभाग।
7. वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास / महानरेगा।
8. परियोजना निदेशक, एसएपी–II, ग्रामीण विकास विभाग।
9. अधीक्षण अभियन्ता, आईएवाई / श्री योजना।
10. मुख्य / अति0 कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
11. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।

परि. निदे. एवं उप सचिव (मो. एवं मू.)